न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/386
दायरा तिथि : 11.11.2021
आदेश तिथि : 20-09-22

प्रार्थी :–
उषा यादव पुत्री सत्यराज यादव जाति यादव
निवासी कनीना महेन्द्रगढ (हरियाणा)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र ओंकारसिंह राठौड जाति राजपुत
   निवासी कोठार हाल गांधीनगर (गुजरात)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 20-09-22

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीया उषायादव द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प कोठार में दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीया की खरीद शुदा खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 420 रकबा 0.4775 हैक्टर नये तरमीमी नंबर 868/420 रकबा 0.4775 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन हेतु रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र ओंकारसिंह की खरीद शुदा खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 420/1 रकबा 0.9550 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ पुर्व खातेदार छैलसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपुत निवासी कोठार से उसके द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि कोठार के खसरा नंबर 420 रकबा 0.9950 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे रकबा 0.4775 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.06.2021 के द्वारा खरीद किये जाने की पुष्टि में बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति, तथा उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर प्रार्थीया उषायादव के नाम नामान्तरकरण संख्या 1089 दिनांक 06.04.2022 से प्रार्थीया के नाम खरीद शुदा भूमि के तरमीमी नंबर कोठार के खसरा नंबर 868/420 रकबा 0.4775 हैक्टर प्रार्थीया के नाम रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में बतौर खातेदार दर्ज होने के प्रमाण स्वरूप पेश किये गये। तथा साथ ही अप्रार्थी उम्मेदसिंह राठौड पुत्र श्री ओकारसिंह राठौड निवासी गांधीनगर गुजरात के पक्ष में ग्राम कोठार स्थित भूमि खसरा नंबर 420/1 रकबा 0.9550 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का पुर्व खातेदार आनन्द कुंवर पुत्री भंवरसिंहजी पत्नि शैतानसिंहजी, कैलाश कुंवर पत्नि भंवरसिंहजी भरतसिंह पुत्र भंवरसिंहजी, मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंहजी जातिगण राजपुत निवासी कोठार के आम मुख्त्यार श्री शैलसिंह चौहान पुत्र श्री मालमसिंह जाति राजपुत निवासी कोठार के माध्यम से दिनांक 16.06.2021 को किये गये रजिस्टर्ड बेचाननामा की प्रति एवं इस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1170 दिनांक 17.08.2022 से कोठार के खसरा नंबर 420/1 रकबा 0.9550 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में अप्रार्थी उम्मेदसिंह राठौड पुत्र ओंकारसिंह राठौड का नाम दर्ज होने के प्रमाण स्वरूप पेश किया गया। राजस्व केम्प कोठार में हितबबद्ध अप्रार्थी उम्मेदसिंह, मनोहरसिंह व भरतसिंह ने प्रार्थीया को रास्ता दिये जाने बावत् सहमति प्रकट की गई। परन्तु पीठासीन अधिकारी राजस्व केम्प में अन्य कार्यो में व्यस्त रहने से प्रकरण को न्यायालय प्रक्रिया में सुनवाई के लिये लंबित रखा गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2406 दिनांक 01.08.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 868/420 रकबा 0.4775 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि उषा यादव पुत्री सत्यराज जाति यादव निवासी कनीना, महेन्द्रगढ, हरियाणा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तथा वर्तमान में आवेदक इसी खसरो मेंसे आवागमन करती है।

पेज लगातार...........02

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/386

अनवान उषा यादव बनाम उम्मेदसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ग्राम व खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	420/1	0.9550	बा. सो.	60X9=540 वर्गमीटर	उम्मेदसिंह राठौड पुत्र ओंकारसिंह राठौड हि. पुर्ण जाति राजपुत सा. प्लाट नंबर 96 नारायण नगर सोसाइटी नियर, गोकुलपुरा वावोल गांधीनगर गुजरात खातेदार
2	425	1.12 हैक्ट.	बा.दो.	152X9=1368 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
3	426	0.47 हैक्ट	बा.दो.	60X9=540 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 107447/-रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थीया व प्रार्थीया स्वयं को सुना गया। प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट में वर्णित रूट से रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई। प्रकरण में रास्ते के लिये प्रभावित भूमि खसरा नंबर 420/1 के निजी खातेदार श्री उम्मेदसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती दिनांक राजस्व केम्प में ही दिनांक 11.11.2021 को सहमति प्रदान कर दी थी, तथा प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये उक्त निजी खातेदार व राजकीय सिवायचक भूमि से निर्बाध आना जाना किया जाने से प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र में राजकीय सिवायचक खसरा नंबर 425 व 426 का उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु चूँकि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह जाहिर हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिये रास्ता खसरा नंबर 426, 425, 420/1 से होते हुये प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 868/420 में प्रवेश करेगा। जिससे तहसीलदार, बाली उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार होने से सी.पी.सी. की धारा 151 में अर्न्तनिहित शक्तियो को प्रयोग करते हुये प्रकरण में तहसीलदार, बाली को बतौर अप्रार्थी संख्या-02 पक्षकार के तौर पर संयोजित किया जाता है। इसके साथ ही विधिक प्रावधानो के अवलोकन से यह जाहिर है कि किसानो को उनकी खातेदारी भूमियो तक पहुँच के लिये मार्ग उपलब्ध नहीं होने से टिनेन्सी एक्ट. में संशोधन करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बनाये गये तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) के द्वारा अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 को जारी करते हुये किसानो को उनकी खातेदारी भूमियो तक पहुँच के लिये नया रेकर्डेड रास्ता धारा 251(ए) के तहत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। इन निर्देशो के बावजुद भी रास्ते के रूट में सिवाय चक भूमियाँ आने से किसानो को इन नियमो के तहत नया रास्ता स्वीकृति में कठिनाईयॉ आने से किसानो की समस्याओ को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के द्वारा परिपत्र क्रमॉकःप. 3(52) राज-6/12/ 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 को जारी करते हुये स्वीकृत रास्ते के रूट में निजी खातेदारी भूमि के साथ राजकीय सिवाय चक भूमि आने की दशा में सिवायचक भूमियो मेंसे भी किसानो को नया मार्ग स्वीकृति के निर्देश जारी किये गये। इसके साथ ही नियमां में अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत प्राविधित किया गया है। तथा तहसीलदार बाली ने भी अपनी रिपोर्ट में भी 9 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है। एक किसान को अपनी कृषि जोत तक पहुंचने तथा कृषि रांयत्र, ट्रेक्टर, ट्रॉली व अन्य साधन लाने ले जाने के लिये 8 फीट चौडा रास्ता पर्याप्त होता है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/2406 दिनांक 01.08.2022 में वर्णित रूट से आवेदक को 8 फीट चौडा रास्ता ही उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप. 3(52) राज-6/12/ 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली में प्रार्थीया द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 868/420 रकबा 0.4775 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र ओंकारसिंह राठौड की निजी खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार के खसरा नंबर 420/1 रकबा 0.9550 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे 480 वर्गमीटर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 425 मेंसे 152X8=1216वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 426 मेंसे 60X8=480 वर्गमीटर

पेज लगातार.........03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/386

अनवान उषा यादव बनाम उम्मेदसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कुल **(1216+480) =1696 राजकीय सिवायचक** भूमि तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से 8 फीट चौडा नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारा को एवं राजकीय सिवाय चक भूमि की देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 107447/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
420/1	0.9550	60X8=480 वर्गमीटर	10.74	5155X2=10310	उम्मेदसिंह राठौड पुत्र ओंकारसिंह राठौड हि. पुर्ण जाति राजपुत सा. प्लाट नंबर 96 नारायण नगर सोसाइटी नियर, गोकुलपुरा वावोल गांधीनगर गुजरात खातेदार
425	1.12	152X8=1216वर्गमीटर	10.74	13060X2=26120	राजकीय सिवाय चक
426	0.47	60X8=480 वर्गमीटर	10.74	5155X2=10310	राजकीय सिवायचक

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रभावित भूमि के लिये प्रतिकर राशि 10310/-रूपये अक्षरे दस हजार तीन सौ दस तथा सिवायक भूमि की प्रतिकर राशि (26120+10310)= 36430 रूपये अक्षरे छत्तीस हजार चार सौ तीस रूपये मात्र आवेदक द्वारा अदा की जायेगीं। निजी खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नही लिये जाने की दशा में अप्रार्थी निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि भी तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे सोहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज)

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला पाली (राज.) *

क्रमांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3474-78 दिनांक 20-09-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, नाना
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. उषा यादव पुत्री सत्यराज यादव जाति यादव निवारी कनीना, महेन्द्रगढ, हरियाणा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner